तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की ता... में जारी...
	24-10-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-12-19 को पेश हो। रीडर	
	26-12-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-1-2020 को पेश हो। रीडर	
	3-1-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-2-2020 को पेश हो। रीडर	
	10-2-2020 वकील वादी उप0। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि0 4-3-2020 को पेश हो।	
	4-3-2020 वकील वादी उप0। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कले... गंगापुर सिटी (स...	

निः...
कले...
मुक...
65/...
जहू...
1/1...
1/2...
1/3...
1/...
1. ...
1/...
1/...
1/...
1/...
1...
1...
1...
2...
3...
4...
4...
4...
4...

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
65/2016	13.07.2016	4-3-2020

जहूर खॉ पुत्र ओसाफ खॉ, मुसलमान निवासी उदेई कलॉ (मृतक)
1/1 अब्दुल रऊफ पुत्र जहूर खॉ, मुसलमान नि. उदेई कलॉ तह0 गंगापुर
1/2 मोहम्मद इस्लाम पुत्र जहूर खॉ, मुसलमान नि. उदेई कलॉ तह0 गंगापुर
1/3 मुकिला पुत्री जहूर खॉ, मुसलमान नि. उदेई कलॉ तह0 गंगापुर
1/4 मुफिदा पुत्री जहूर खॉ, मुसलमान नि. उदेई कलॉ तह0 गंगापुर
----वादीगण

बनाम

1. शब्बीर खॉ पुत्र मिश्रया, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ (मृतक)
1/1 साबिर खॉन पुत्र शब्बीर खॉ, मुसलमान नि. उदेई कलॉ तह0 गंगापुर
1/2 आबिद खॉन पुत्र शब्बीर खॉ, मुसलमान नि. उदेई कलॉ तह0 गंगापुर
1/3 अफसार खॉन पुत्र शब्बीर खॉ, मुसलमान नि. उदेई कलॉ तह0 गंगापुर
1/4 शायरा बानो पुत्री शब्बीर खॉ पत्नी अख्तर, मुसलमान नि. लालसोट
1/5 जैबून बानो पुत्री शब्बीर खॉ पत्नी रईस, मुसलमान नि. लालसोट
1/6 जायदा बानो पुत्री शब्बीर खॉ पत्नी सईद, मुसलमान निवासी लालसोट
1/7 महमूदन पत्नी शब्बीर खॉ, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर ,
2. शकीर खॉ पुत्र मिश्रया, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
3. कपिल खॉ पुत्र मिश्रया मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
4. जमील खॉ पुत्र मिश्रया, मुसलमान नि. उदेईकलॉ तह0 गंगापुर (मृतक)
4/1 सग्गी पत्नी जमील, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
4/2 जाबिर पुत्र जमील, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
4/3 जाबिद पुत्र जमील, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
4/4 रेशमा पत्नी आरिफ, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
4/5 अरसो पुत्री आरिफ, उम्र 9 साल, नाबालिग जरिए माता
रेशमा पत्नी आरिफ, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
4/6 अरसी पुत्री आरिफ, उम्र 7 साल, नाबालिग जरिए माता
रेशमा पत्नी आरिफ, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
4/7 आशिया पुत्री आरिफ, उम्र 9 साल, नाबालिग जरिए माता
रेशमा पत्नी आरिफ, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
4/8 मुस्लिमा पुत्री जमील पत्नी इकराम, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
4/9 कल्लो पुत्री जमील पत्नी असलम, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
4/10 आरिफा पुत्री जमील पत्नी लाला, मुसलमान नि. बालघाट,(टोडाभीम)
5. कल्लू खॉ पुत्र सरदार खॉ, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
6. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
7. हनीफ पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
8. रफीक पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

9. खलील पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉं गंगापुर
10. शहजाद पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉं गंगापुर
11. सजील पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉं गंगापुर
12. जब्बार पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉं गंगापुर
13. नफीसा बेगम बेवा रसीद, मुसलमान निवासी राजकीय कॉलेज के पास, उदेई रोड गंगापुर सिटी
14. लतीफ पुत्र रसीद, मुसलमान निवासी राजकीय कॉलेज के पास, उदेई रोड गंगापुर सिटी
15. फरीद पुत्र अब्दुल हमीद, मुसलमान नि. उदेईकलॉं गंगापुर
16. रईस पुत्र अब्दुल हमीद, मुसलमान नि. उदेईकलॉं गंगापुर
17. सईद पुत्र अब्दुल हमीद, मुसलमान नि. उदेईकलॉं गंगापुर

— प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम उदेईकलॉं आराजी साबिक ख0न0 1630/2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, 823 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, 821 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। इसका खातेदारी इन्द्राज ओशाक, मिश्रया पुत्रान छीतर खॉं 1/2, सरदार पुत्र उम्मेदखॉं 1/2 जाति मुसलमान के नाम रहा है। इसमे ख0न0 821 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा का बेचान मिश्रया व वादी ने 10 –15 वर्ष पूर्व कर दिया। हॉल बन्दोबस्त मे ख0न0 1630/2 का नवीन ख0न0 4019 रकबा 65 एयर, ख0न0 4020 रकबा 23 एयर तथा साबिक ख0न0 823 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा का नवीन ख0न0 3534 रकबा 24 एयर, 3535 रकबा 2.03 हैं0 कायम किया गया है। ख0न0 4019 व 4020 को लेकर विवाद है। यह भूमि पैतृक रही है। जिसका साबिक ख0न0 1630/2 रहा है। जिसका इन्द्राज वादी के पिता ओशाक व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के पिता मिश्रया के नाम रहा है। ख0न0 3534, 3535 का इन्द्राज खातेदारी सरदार खॉं पुत्र उम्मेद खॉं के नाम है। मौके पर वादी व प्रतिवादीगण ने भूमि का विभाजन कर रखा है। ख0न0 4020 रकबा 23 एयर एवं ख0न0 4019 मे से 21 एयर जानिब दिशा उत्तर पर वादी का कब्जा काश्त है। दिनांक 5.7.95 को प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे वादी को काश्त नही करने देगे। भू प्रबन्ध विभाग ने गत प्रविष्टियो के अनुसार वर्तमान प्रविष्टिया नही की है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर ख0न0 4020 रकबा 23 एयर सम्पूर्ण व ख0न0 4019 रकबा 65 एयर मे से 21 एयर रकबा जानिब दिशा उत्तर ग्राम उदेईकलॉं का वादी को सहखातेदार घोषित किया जावे, इसी अनुसार रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावें। इसी अनुसार भूमि का विभाजन किया जावे तथा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी को उसकी भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 1/1 से 1/3 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

शेष प्रतिवादीगण ने जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसमे उन्होने अंकित किया है कि वादी ने जो सजरा पेश किया है उसमे मृतक छीतर के दो पुत्र बताये है जबकि उसके तीसरा पुत्र मुंशी और था। मृतक मुंशी के दो पुत्र अब्दुल हफीज, अब्दुल हमीद थे जो मर चुके है। अब्दुल हमीद के पाँच पुत्र हनीफ , रफीक, खलील, शहजाद, सजील, जब्बार है तथा अब्दुल हफीज के पाँच पुत्र रसीद, लतीफ, फरीद, रईस, सईद है ये सभी दावे मे आवश्यक पक्षकार है परन्तु इन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। इस जमीन के सम्बन्ध मे पूर्व मे भी दावा किया गया था। इसलिए यह दावा रेज्यूडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर चलने योग्य नही है। वादी ने अपने पहले वाले दावे उनवानी जहूर खॉ बनाम शब्बीर खॉ मे अपना 1/4 हिस्सा बताया था परन्तु अब 1/2 हिस्सा बताता है। इसी आधार पर दावा खारिज होने योग्य है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार निम्न तनकी कायम की गई।

1. आया भूमि साबिक ख0न0 1630/2, 823, 821 ग्राम उदेईकलॉ मे स्थित रही है जिसमे ओशाक, मिश्रया पुत्रान छीतर खॉ का 1/2 हिस्सा व सरदार पुत्र उम्मेदखॉ का 1/2 हिस्सा रहा है। —वादी

2. आया भूमि साबिक ख0न0 821 का बेचान वादी व मिश्रया ने 10—15 वर्ष पूर्व कर दिया गया है । —वादी

3. आया भूमि साबिक ख0न0 1630/2 का नवीन नम्बर 4019, 4020 एवं साबिक ख0न0 823 का नवीन नम्बर 3534, 3535 कायम हुआ है। —वादी

4. आया भूमि साबिक ख0न0 1630/2 नवीन नम्बर 4019, 4020 पैतृक भूमि रही है जिसके खातेदारी इन्द्राज वादी के पिता ओशाक व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के पिता मिश्रया के नाम दर्ज है एवं ख0न0 3534, 3535 का इन्द्राज खातेदारी सरदार खॉ के नाम दर्ज है। —वादी

5. आया भूमि ख0न0 4019, 4020 मे वादी का 1/2 हिस्सा है एवं ख0न0 4020 का 23 एयर व 4019 रकबा 65 एयर मे से 21 एयर जानिब दिशा उत्तर पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। —वादी

6. आया प्रतिवादीगण ने दिनांक 5.7.95 को वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि काश्त नही करने देने की धमकी दी। —वादी

7. आया वादी भूमि ख0न0 4020 रकबा 23 एयर व ख0न0 4019 मे से 21 एयर भूमि जानिव दिशा उत्तर की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने, भूमि पृथक से अपने नाम दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। —वादी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

8. आया वादी ने सजरा गलत पेश किया है एवं दावे मे आवश्यक पक्षकारो को पार्टी नही बनाया है। —प्रति0

9. आया वादी का विवादित भूमि पर कब्जा नही है फलस्वरूप वाद वादी चलने योग्य नही है। —प्रति0

10. अनुतोष

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2021 से 2024 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी संवत 2025—2028 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत 2049—2052 प्रदर्श 3, प्रदर्श 4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5, प्रदर्श 6 पेश किये है एवं वादी जहूर खॉ व गवाह मुश्ताक के बयान कराये है।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी जमील व गवाह मोहम्मद सादिक के बयान कराये है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना जाकर दावा दिनांक 7.3.01 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादी को ख0न0 4019, 4020 मे 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.3.2001 के विरूद्व प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत की । जिसका निर्णय दिनांक 11.12.2001 को हुआ। अपने निर्णय में राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर ने प्रतिवादीगण की अपील खारिज करते हुए इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.3.01 यथावत रखा।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम प्राप्त होने पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.3.2002 द्वारा पक्षकारो के मध्य भूमि का विभाजन किया जाकर भूमि ख0नं0 4020 रकबा 23 एयर एवं ख0नं0 4019/2 रकबा 21 एयर कुल रकबा 44 एयर वादी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 4019/1 रकबा 44 एयर प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7, 2, 3, 4 की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.3.2001 एवं राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 11.12.2001 के विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 2.6.2016 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.3.2001 एवं राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 11.12.2001 निरस्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि सभी सहखातेदारान व छीतर के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ दोनों पक्षों की सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 2.6.2016 की पालना में प्रकरण पुनः इस न्यायालय में दर्ज किया गया एवं सभी सहखातेदारों व छीतर के वारिसान को मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 17 के रूप में

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पक्षकार बनाया गया। पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से वापिस प्राप्त होने पर सभी पक्षकारों को पुनः नोटिस जारी कर सुनवाई व साक्ष्य हेतु इस न्यायालय में बुलाया गया परन्तु वादी पक्ष के अलावा अन्य प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी पक्ष की ओर से उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, सबूतों के अतिरिक्त अन्य कोई नवीन साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए।

प्रकरण में वादी पक्ष के विद्वान अभिभाषक को सुना गया।

वादी पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद के अनुसार बहस करते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 8.3.2002 का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.3.2002 द्वारा वादी पक्ष का दावा डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य भूमि विभाजन का आदेश दिया जा चुका है एवं अब इसी आदेशानुसार वादी पक्ष का दावा डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर वादी संख्या 1/1 से 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7, 2, 3, 4 के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:—

1. वादी संख्या 1/1 से 1/4 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 4020 रकबा 23 एयर, ख0नं0 4019/2 रकबा 21 एयर कुल रकबा 44 एयर ग्राम उदेईकलां स रहेगी।

2. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 हिस्सा 1/4 प्रतिवादी सं0 3 हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 4 हिस्सा 1/4 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 4019/1 रकबा 44 एयर ग्राम उदेईकलां रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर पृथक पृथक खाते कायम किए जावें एवं पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही बेदखली की कार्यवाही करें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

बअदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

जहूर खॉं पुत्र औसाफ खॉं, मुसलमान निवासी उदेई कलॉं (मृतक)

1/1 अब्दुल रऊफ पुत्र जहूर खॉं, मुसलमान नि. उदेई कलॉं तह0 गंगापुर

1/2 मोहम्मद इस्लाम पुत्र जहूर खॉं, मुसलमान नि. उदेई कलॉं तह0 गंगापुर

1/3 मुकिला पुत्री जहूर खॉं, मुसलमान नि. उदेई कलॉं तह0 गंगापुर

1/4 मुफिदा पुत्री जहूर खॉं, मुसलमान नि. उदेई कलॉं तह0 गंगापुर

—वादीगण

बनाम

1. शब्बीर खॉं पुत्र मिश्रया, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं (मृतक)

1/1 साबिर खॉन पुत्र शब्बीर खॉं, मुसलमान नि. उदेई कलॉं तह0 गंगापुर

1/2 आबिद खॉन पुत्र शब्बीर खॉं, मुसलमान नि. उदेई कलॉं तह0 गंगापुर

1/3 अफसार खॉन पुत्र शब्बीर खॉं, मुसलमान नि. उदेई कलॉं तह0 गंगापुर

1/4 शायरा बानो पुत्री शब्बीर खॉं पत्नी अख्तर, मुसलमान नि. लालसोट

1/5 जैबून बानो पुत्री शब्बीर खॉं पत्नी रईस, मुसलमान नि. लालसोट

1/6 जायदा बानो पुत्री शब्बीर खॉं पत्नी सईद, मुसलमान निवासी लालसोट

1/7 महमूदन पत्नी शब्बीर खॉं, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर ,

2. शकीर खॉं पुत्र मिश्रया, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी

3. कपिल खॉं पुत्र मिश्रया मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर सिटी

4. जमील खॉं पुत्र मिश्रया, मुसलमान नि. उदेईकलॉं तह0 गंगापुर (मृतक)

4/1 सग्गी पत्नी जमील, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर

4/2 जाबिर पुत्र जमील, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर

4/3 जाबिद पुत्र जमील, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर

4/4 रेशमा पत्नी आरिफ, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर

4/5 अरसो पुत्री आरिफ, उम्र 9 साल, नाबालिग जरिए माता
रेशमा पत्नी आरिफ, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर

4/6 अरसी पुत्री आरिफ, उम्र 7 साल, नाबालिग जरिए माता
रेशमा पत्नी आरिफ, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर

4/7 आशिया पुत्री आरिफ, उम्र 9 साल, नाबालिग जरिए माता
रेशमा पत्नी आरिफ, मुसलमान निवासी उदेईकलॉं तह0 गंगापुर

4/8 मुस्लिमा पुत्री जमील पत्नी इकराम, मुसलमान नि. उदेईकलॉं गंगापुर

उप ...
गंगापुर ...

4/9 कल्लो पुत्री जमील पत्नी असलम, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
4/10 आरिफा पुत्री जमील पत्नी लाला, मुसलमान नि. बालघाट,(टोडाभीम)
5. कल्लू खॉ पुत्र सरदार खॉ, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
6. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
7. हनीफ पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
8. रफीक पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
9. खलील पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
10. शहजाद पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
11. सजील पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
12. जब्बार पुत्र अब्दुल हफीज, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
13. नफीसा बेगम बेवा रसीद, मुसलमान निवासी राजकीय कॉलेज के पास, उदेई रोड गंगापुर सिटी
14. लतीफ पुत्र रसीद, मुसलमान निवासी राजकीय कॉलेज के पास, उदेई रोड गंगापुर सिटी
15. फरीद पुत्र अब्दुल हमीद, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
16. रईस पुत्र अब्दुल हमीद, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर
17. सईद पुत्र अब्दुल हमीद, मुसलमान नि. उदेईकलॉ गंगापुर

—— प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 65/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई —— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर वादी संख्या 1/1 से 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7, 2, 3, 4 के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. वादी संख्या 1/1 से 1/4 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 4020 रकबा 23 एयर, ख0नं0 4019/2 रकबा 21 एयर कुल रकबा 44 एयर ग्राम उदेईकलां स रहेगी।

2. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 हिस्सा 1/4 प्रतिवादी सं0 3 हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 4 हिस्सा 1/4 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 4019/1 रकबा 44 एयर ग्राम उदेईकलां रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर पृथक

उप जि... ...
गंगापुर सिटी (...

पृथक खाते कायम किए जावें एवं पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही बेदखली की कार्यवाही करें। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 4-3-2020 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कले.
गंगापुर सिटी (स०

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.23 16:37:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: